कार्यालय, आयुक्त उच्च शिक्षा, म0प्र0 शासन,
सतपुड़ा भवन भोपाल

भोपाल,दिनांक 17 / 01 / 2022

क्रमांकः 65 / 37 / आउशि / शा–1 / 2021,

प्रति,

1. कुल सचिव,
   समस्त परम्परागत विश्वविद्यालय,
   मध्यप्रदेश।
2. अतिरिक्त संचालक,
   समस्त क्षेत्रीय कार्यालय,
   उच्च शिक्षा म.प्र.
2. समस्त प्राचार्य,
   शासकीय महाविद्यालय
   मध्यप्रदेश.

विषयः–12 वें राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी 2022 के उपलक्ष्य में शपथ दिलाने व जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन करने बाबत्।

संदर्भः–संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी म.प्र. का पत्र क्रमांक 2–6 / 09 / स्वीप / एन.वी.डी. / 21 / 130 दिनांक 10.01.2022

——00——

उपरोक्त विषयांतर्गत कार्यालयीन पत्र क्रमांक 57 / 37 / आउशि / शा–1 / 2022 ,दिनॉक 13.01.2022 के साथ संलग्न पत्र मे दिये निर्देशानुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित करें साथ ही मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी म.प्र. की बैठक दिनांक 13.01.2022 में प्राप्त निर्देशानुसार दिनांक 25.01.2022 को विश्वविद्यालय स्तर पर एवं महाविद्यालय स्तर पर विद्यार्थियों कों मतदाता जागरूकता हेतु शपथ दिलाई जाए एवं गुगल मीट के माध्यम से "मतदान की अनिवार्यता" विषय पर सेमीनार का आयोजन एवं "मतदान की अनिवार्यता" पर जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन कर प्रतिवेदन अधोहस्ताक्षरकर्ता को एवं मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय भोपाल को प्रेषित किऐ जाने का अनुरोध है।

(आयुक्त उच्च शिक्षा द्वारा अनुमोदित)

संलग्नः–उपरोक्तानुसार

[signature] 17.01.22

(डॉ. जी.आर.गांगले)
विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी
उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश
दिनांक 17 / 01 / 22

IC/46
19/1/22

पृ.क्रमांकः 66 / 37 / आउशि / शा–1 / 2020,

प्रतिलिपिः–

1. संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी म.प्र. की ओर पत्र क्रमांक 2–6 / 09 / स्वीप / एन.वी.डी. / 2021 / 30 दिनांक 10.01.2022 के संदर्भ में सूचनार्थ।

SO
विभागाध्यक्षों को circulate करें समस्त महा.
19.1

[signature] 17.01.22
विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी
उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश

[signature] 19/1/22
- DSW
- Proctor
- NSS Coordi

1501

कार्यालय, आयुक्त उच्च शिक्षा, म0प्र0 शासन,
सतपुड़ा भवन भोपाल

क्रमांकः 57 / 37 / आउशि / शा–1 / 2022, भोपाल,दिनांक 13 / 01 / 22

प्रति

1. समस्त अतिरिक्त संचालक,
   क्षेत्रीय कार्यालय,
   उच्च शिक्षा म.प्र.
2. समस्त प्राचार्य,
   शासकीय महाविद्यालय
   मध्यप्रदेश.

विषयः–12 वें राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी 2022 के उपलक्ष्य में प्रतियोगिता आयोजित करने बाबत्।

संदर्भः–संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी म.प्र. का पत्र कमांक 2–6 / 09 / स्वीप / एन.वी.डी. / 2021 / 30 दिनांक 10.01.2022

——00——

उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित प्राप्त पत्र की छायाप्रति आपकी ओर संलग्न कर प्रेषित है। कृपया संलग्न पत्र में दियें गये निर्देशानुसार आवश्यक कार्यवाही एवं आयोजन करना सुनिश्चित करें।

संलग्न :–उपरोक्तानुसार,

(दीपक सिंह)
आयुक्त
उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश

पृ. क्रमांकः 58 / 37 / आउशि / शा–1 / 2020, दिनांक 13 / 01 / 22

प्रतिलिपिः–

1. संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी म.प्र. का पत्र कमांक 2–6 / 09 / स्वीप / एन.वी.डी. / 2021 / 30 दिनांक 10.01.2022 के संदर्भ में सूचनार्थ।

विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी
उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश

कार्यालय मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, मध्यप्रदेश

मध्यप्रदेश निर्वाचन सदन, 17-अरेरा हिल्स, भोपाल

दूरभाष : 0755-2570414, फैक्स : 0755-2555162, E-Mail : sveepmp@gmail.com

फा. क्र. 2–6/09/स्वीप/NVD/2021 /130 भोपाल दिनांक : 10/01/2022

प्रति,

कलेक्टर एवं
जिला निर्वाचन अधिकारी
समस्त, मध्यप्रदेश

विषय : 12वें राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी 2022 के उपलक्ष्य में प्रतियोगिता आयोजित करने बाबत् ।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि पूर्व वर्षों की भाँति इस वर्ष भी 12वें राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी 2022 का आयोजन किया जाना है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस दिनांक 25/01/2022 को राज्य व जिला स्तर पर आयोजित किया जावेगा। प्रदेश के सभी जिलों में महाविद्यालयीन स्तर के विद्यार्थीयों की एक निबंध प्रतियोगिता आयोजित की जाना है। इस हेतु निम्नानुसार नियम एवं शर्ते रहेगीः–

1– निबंध का विषय – ***"मतदान की अनिवार्यता"*** अनुमानित अधिकतम शब्द संख्या 2000 रहेगी।

2– उक्त प्रतियोगिता दो चरण में होगी, प्रथम चरण में महाविद्यालयीन विद्यार्थीयों की जिला स्तर पर एवं द्वितीय चरण में जिले द्वारा चयनित प्रविष्टियों में से राज्य स्तर पर।

3– जिला स्तर पर चयन समिति का गठन कलेक्टर द्वारा एवं राज्य स्तर पर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा किया जावेगा।

4– जिला स्तर पर महाविद्यालयीन छात्रों द्वारा निबंध लिखकर उसकी हस्ताक्षरित प्रति बन्द लिफाफे में अपने जिले के कलेक्टर कार्यालय में दिनांक 15 जनवरी तक जमा करना होगी।

5– जिले स्तर पर प्राप्त सभी प्रविष्टियों में से तीन प्रविष्टियों का चयन प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय क्रम में जिला स्तरीय समिति द्वारा किया जावेगा एवं चयनित छात्रों को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के जिला स्तरीय कार्यक्रम में प्रशस्ति पत्र एवं नगद पुरस्कार प्रदान किया जावेगा।

6– प्रत्येक जिले में प्रथम स्थान पर चयनित प्रविष्टि को कलेक्टर द्वारा दिनांक 20 जनवरी तक इस कार्यालय को उपलब्ध कराया जावे, इस प्रकार सभी जिलों में प्रथम स्तर पर आयी प्रविष्टियों में से राज्य स्तरीय समिति द्वारा 3 सर्वश्रेष्ठ प्रविष्टियों को प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय क्रम में चयनित किया जावेगा तथा उन्हें राज्य स्तरीय कार्यक्रम में प्रशस्ति पत्र एव नगद राशि का पुरस्कार दिया जायेगा।

7— कलेक्टर अपने स्तर से अन्य सभी प्रतिभागियों को प्रशस्ति पत्र प्रदाय करने हेतु अपने स्तर से निर्णय ले सकते है।

अतः उपरोक्तानुसार कार्यवाही करने हेतु प्रचार–प्रसार करते हुये कार्यवाही निर्धारित समय–सीमा में कराने का कष्ट करें।

(धरणेन्द्र कुमार जैन)
संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी
मध्यप्रदेश

फा. क्र. 2–6/09/स्वीप/NVD/2021 /31 भोपाल दिनांक : 16/01/2022

प्रतिलिपि :–

1— संभागायुक्त, समस्त मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

2— आयुक्त, उच्च शिक्षा विभाग, भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

3— मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, समस्त, मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

(धरणेन्द्र कुमार जैन)
संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी
मध्यप्रदेश